

7

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

12098 निगरानी

126-1114

जिवेंद्र खत्री, पत्नी  
आज दि 4-2-14 को  
प्रस्तुत

जयनारायण पुत्र श्री मथुरालाल, जाति कुम्हरा,  
( प्रजापति ) आयु 55 वर्ष, निवासी ग्राम  
जानपुरा, तहसील व जिला श्यांपुर (म०प्र०)

---अपीलाथी

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

---रिस्पॉण्डेंट

निगरानी

अन्तर्गत धारा 10 म०प्र० मूख्यराजस्व संहिता 1954  
विरुद्ध आवेश दिनांक 27-5-12 जो कि श्री अक्षय जायक  
कमल समाज, सुरेंद्र द्वारा प्रकरण क्रमांक 78111-12 निगरानी  
वजनवान जयनारायण बनाम म०प्र० शासन ।

माननीय महोदय,

अपीलाथी की ओर से अपील निम्नलिखित प्रस्तुत है-


संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, माँजा जानपुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 7 का 7 मिन  
के अंश भाग रकबा 1 बीघा पर अपने पिता के समय से काविज होकर  
सेती कृता कला जा रहा है। अपीलाथी के पिता का नाम पटवारी  
अमिलेश के द्वारा सं० 2000 के सं० 2004 तक लगातार कला जा रहा  
था, उसके बाद अपीलाथी का कब्जा अंकित है।

(ब) यहकि, अपीलाथी के पिता मथुरालाल द्वारा स्व अपीलाथी  
द्वारा विवादित भूमि के संबंध में शासन को लगान भी अदा किया है,  
तहसील न्यायालय में विधिवत रूप से अपीलाथी को विवादित भूमि का  
पट्टा प्रदान किया था. जिसका

प्रकरण क्रमांक - निग. 426-एक/14

जिला - श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-4-14	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का परिशीलन किया। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को अग्रहण बाह्य होने से निरस्त किया गया है। अवधि के बिंदु पर अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट विवेचना कर निष्कर्ष दिए हैं। इस न्यायालय के समक्ष भी निगरानी 15 माह से अधिक समय के विलंब से पेश की गई है, विलंब क्षमा के संबंध में आवेदक की ओर से कोई टोस एवं समाधान कारक कारण नहीं दिए गए हैं। दर्शित परिस्थिति में इस प्रकरण में ग्राह्यता के पर्याप्त आधार न होने से निगरानी अग्रहण की जाती है। परिणामतः यह निगरानी अग्रहण की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	<p style="text-align: right;">             प्रशांत सदस्य         </p>